


गायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ जिला-राजसमन्द


104 सन् 2020 किस्म मुकदमा 115

दीमादान बनाम श्री मांगलदास व गोरे

आदेशिका	हस्ताक्षर / सूचना
<p>24 ⁸/₂₀₂₀ पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता वादी उपस्थित है। P.D. की पालना प्राप्त। तद्विषयक को सम्पूर्ण पत्र (लेखजवाब) पत्रावली दिनांक 21.9.2020 को पेश है।</p>	
<p>21 ⁰⁹/₂₀₂₀ पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारीजी निर्वाचन कार्य स्थगित रूप में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 25.11.2020 को पेश हो</p>	
<p>25 ¹¹/₂₀ पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारीजी निर्वाचन कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 16.12-2020 को पेश हो</p>	
<p>16 ¹²/₂₀₂₀ पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता वादी उपस्थित है। तद्विषयक मुकदमा एवं आरंभित डिडी की पालना में विभाजन फटरेक्टर व नक्शा ड्रेग रिपोर्ट के प्राप्त हुए जो शामिल मिलान है। पत्रावली दिनांक 24.12.2020 को पेश है।</p>	
<p>24 ¹²/₂₀₂₀ पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता वादी उपस्थित है। अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी को प्राप्त विभाजन फटरेक्टर एवं नक्शा ड्रेग पर कोई आपत्ति नहीं है। एवं अधिवक्ता</p>	

वादी द्वारा प्राप्त विनायन फहरिस्त एवं
 नम्बरा ट्रेस अनुसार विनायन विधे
 जाते हेतु फाइल डिडी जारी करने
 का निवेदन किया है। तदुत्तरात्
 कुम्भलगढ़ से प्राप्त विनायन फहरिस्त
 व नम्बरा ट्रेस एवं पत्रावली का भव्येकत्र
 किया गया व अधिवक्ता वादी की
 व्यय पर मतन किया गया। अधिवक्ता
 वादी को तदुत्तरात् कुम्भलगढ़ से
 प्राप्त विनायन फहरिस्त व नम्बरा ट्रेस
 पर कोई आपत्ति नहीं है। विनायन
 फहरिस्त एवं नम्बरा ट्रेस स्वीकार
 किये जाते हैं। तदनुसार डिडी पत्रा
 जारी है। तदुत्तरात् कुम्भलगढ़
 से प्राप्त विनायन फहरिस्त व ट्रेस
 निर्णय व डिडी का आगिन आगे
 रहेगा। वादी का वाद स्वीकार किया
 जाता है। डिडी की प्रमाणित प्रति
 व विनायन फहरिस्त एवं ट्रेस की
 स्वीकृत प्रति पालना हेतु तदुत्तरात्
 कुम्भलगढ़ को भेजी जावे। पत्रावली
 केवल शुभा हो कर नम्बर से
 कम है। निर्णय सुले न्यायालय में
 सुनाया गया।




 सहायक कलक्टर
 (एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ़
 जिला-राजसमन्द